है। तो किसी भी पक्षकार के रकबा में अन्तर नहीं आता है। पक्षकारान भी तहसीलदार सिणधरी की रिर्पोट के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवानें पर सहमत है। मजमें आम में भी पुछताछ करने पर पाया कि तहसीलदार सिणधरी की प्रस्तावित तरमीम के अनुसार पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है। एवं तहसीलदार सिणधरी ने विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम ऐवाड़ी मानजी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 68 रकबा 43–03 बीधा व खसरा संख्या 68/1 रकबा 43–02 बीधा भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकः–भू.अ/18/1757 दिनांक 04.6.18 के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त (बिन्दु ए से बी डॉटेड लाईन)करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 4.6.18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner